डिकी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)

व इजलास श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)

1. मुश्ताक अहमद उम्र 63 साल पुत्र अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

बनाम

1. अहमद जमा खाँ उम्र 55 साल पुत्र अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह बाडी जिला धौलपुर राज
2. फारीना उर्फ सावरा बेगम पत्नी मौहम्मद अनीस पुत्री अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी पंजाबी बाग सुल्तान पुरी रानी मार्केट नई दिल्ली
3. खालिदा बेगम पत्नी मौहम्मद परवेज पत्नी अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी काला महल हकीमो गली आगरा
4. राईला बेगम पत्नी मौहम्मद जावेद खाँ पुत्री अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
5. निनुआ राम पुत्र रामस्वरूप जाति कुशवाह निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
6. रामजीलाल पुत्र देवकिशन जाति कुशवाह निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
7. तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

दावा दावत

मुकदमा नं. 53/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

व हाजरी श्री रवि पचौरी एड0 मिनजानिब मुद्दई श्री रामदीश भारद्वाज एड0 मिनजानिब मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रश्नगत आराजी आराजी परिशिष्ट क खसरा नं0 696 रकवा 0.5944 हैक्टेयर, 697 रकवा 0.3162 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकवा 0.9106 हैक्टेयर बांके कस्बा बाडी नं.1 तह0 बाडी में वादी को 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को 1/12 हिस्से का एवं परिशिष्ट ख आराजी खसरा नं0 698 रकवा 0.7461 हैक्टेयर बांके कस्बा बाडी नं.1 तह0 बाडी में वादी को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को 1/4 हिस्से की मृतक अब्दुल वहाव खाँ के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें।

नीज .... मुबलिग.............. बाबत .... खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2 माह 06 साल 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....उपखण्डाधिकारी

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्डाधिकारी

बाडी (धौलपुर) राज

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री भगवत शरण त्यागी आर.ए.एस.

उनवान

मुश्ताक अहमद बनाम अहमद जमाँ खाँ

1. मुश्ताक अहमद उम्र 63 साल पुत्र अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

वादी :-

बनाम

1. अहमद जमां खाँ उम्र 55 साल पुत्र अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह बाडी जिला धौलपुर राज
2. फारीना उर्फ साबरा बेगम पत्नी मौहम्मद अनीस पुत्री अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी पंजाबी बाग सुल्तान पुरी सनी मार्केट नई दिल्ली
3. खालिदा बेगम पत्नी मौहम्मद परवेज पत्नी अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी काला महल हकीमो गली आगरा
4. राईला बेगम पत्नी मौहम्मद जावेद खाँ पुत्री अब्दुल वहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

प्रतिवादीगण :-

5. निनुआ राम पुत्र रामस्वरूप जाति कुशवाह निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
6. रामजीलाल पुत्र देवकिशन जाति कुशवाह निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
7. तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

तरतीवी प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादी के वकील - श्री रवि पचौरी एड0

प्रति0 के वकील - श्री रामदीश भारद्वाज एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0

दावा सं. 86/2024 दिनांक :- 2 .06.2025

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :-

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्डाधिकारी

बाडी (धौलपुर) राज

उपखण्डाधिकारी

बाडी (धौलपुर) राज

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी परिशिष्ट क खसरा नं0 696 रकबा 0.5944 हैक्टेयर, रकबा 0.3162 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 0.9106 हैक्टेयर एवं परिशिष्ट ख की खसरा नं0 698 रकबा 0.7461 हैक्टेयर वाके कस्बा बाडी नं.1 तह0 बाडी में स्थित विवादित आराजी परिशिष्ट क मे वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी 1/3 हिस्से के व विवादित आराजी परिशिष्ट ख मे सम्पूर्ण आराजी के खातेदार काश्तकार थे। उक्त आराजीयात उनकी स्वय अर्जित आराजी थी। विवादित आराजी में वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी का हिस्सा स्वअर्जित था, जिसे हस्तान्तरण करने मुन्तकिल करने का उन्हे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उक्त आराजीयात के अलावा भी वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी पर आराजीयात हैं जो विवादित नही है। वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी शारीरिक रूप से कमजोर हो गये थे, परन्तु मानसिक रूप से स्वस्थ थे, चलने फिरने में अस्वस्थ होने के कारण उन्हाने दिनाँक 22.04.2015 को वादी व प्रतिवादी सं0 एक व साबिर व निसार को बुलाया व सबको अपने पास बुलाकर अपने जीवन काल में दिनांक 22.04.2015 को गवाहन साबिर व निसार के समक्ष विवादित आराजी की मौखिक वसीयत वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के हक में कर दी। जिसमें विवादित आराजी में वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह बाडी के हिस्से की आराजी में से 3/8 हिस्से की आराजी वादी को व 3/8 हिस्से की आराजी प्रतिवादी सं0 1 को व 1/4 हिस्से की आराजी प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को व हिस्सा बराबर बराबर प्रदान की। वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी के पिता ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने जीवन काल मे ही विवादित आराजी की वसीयत वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हक में कर दी, जो उनकी प्रथम व अन्तिम वसीयत थी। दिनाँक 22.06.2015 को का वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह बाडी का देहान्त हो गया व उनके देहान्त के पश्चात उनके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 है। वादी विवादित आराजी परिशिष्ट क में 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 1/12 हिस्से की खातेदार काश्तकार हुए व वादी विवादित आराजी परिशिष्ट ख में 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार हुए एवं इसी प्रकार से मौके पर काबिज रह कर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी पर दिनांक 01.07.2024 को वादी अपने हिस्से की आराजी पर बाजरा का बीज बोने के लिये गया तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 आये व बोले कि विवादित आराजी पर वादी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पिता अब्दुल वहाब खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी द्वारा की गई वसीयत को नही मानते। हम तो विरासत से अपना अपना दाखिल खारिज खुलवायेंगे। अगर सीधी तरह तुमने विवादित आराजी को नहीं छोडा तो जबरन लठ्ठ के बल पर तुमसे विवादित आराजी से कब्जा छिना लेंगे। प्रतिवादीगण की धमकी के बाद वादी के यह आवश्यक हो गया कि वह विवादित आराजी परिशिष्ट क में 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी स. 2 लगायत 4 1/12 हिस्से का व

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

उपखण्डाधिका
बाडी (धौलपुर) रा

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी परिशिष्ट ख मे 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी स0 1 3/8 हिस्से प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करावे व आराजी ... के हिस्से में आयी आराजी मे जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत बेजा नही करे। न किसी अन्य करावें। प्रतिवादीगण ने अपनी धमकी मुताबिक विवादित आराजी से वादी को बेदखल कर दिया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ती हर्जे से संभव नही है।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीया ने निवेदन किया कि :-

दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी परिशिष्ट क में वादी को 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को 1/12 हिस्से का व विवादित आराजी परिशिष्ट ख में वादी को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी स0 1 को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी स0 2 लगायत 4 को 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व विवादित आराजी में वादी के हिस्से मे आयी आराजी मे प्रतिवादीगण को जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावे कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत बेजा नही करें। न किसी अन्य करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर इकबाल दावा प्रस्तुत कर वादी का दावा मुताबिक प्रार्थना डिक्री किये जाने मे सहमति व्यक्त की।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex P1 मृत्यु प्रमाण पत्र श्री अब्दुल बहाव खाँ, Ex P2, Ex P3 नकल जमाबन्दी सम्बत 2076–79, Ex P4 असल बयनामा सुखराम बहक अब्दुल बहाव खाँ तारीखी 14.09.1999, Ex P5 असल बयनामा अब्दुल्ला खाँ बहक अब्दुल बहाव खाँ तारीखी 01.12.1961, Ex P6 नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में Pw 1 मुश्ताक अहमद, Pw 2 साबिर, Pw 3 निसार के शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कराये।

बहस वकील उभयपक्ष समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा अपनी बहस के दौरान मौखिक वसीयत के समर्थन में मुस्लिम लॉ आफ इण्डिया की प्रति पेश की। वादी द्वारा प्रस्तुत Ex P4 असल बयनामा सुखराम बहक अब्दुल बहाव खाँ तारीखी 14.09.1999, Ex P5 असल बयनामा अब्दुल्ला खाँ बहक अब्दुल बहाव खाँ तारीखी 01.12.1961 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक अब्दुल बहाव खाँ द्वारा उक्त तारीखों को प्रश्नगत आराजी का दीगर व्यक्तियों से क्रय किया है। जिनके आधार पर स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी मृतक अब्दुल बहाव खाँ की स्वअर्जित आराजी है। वादी एवं प्रति0 सं0 1 लगा0 4 सगे भाई बहिन है। जिनके हक में मृतक अब्दुल बहाव खाँ द्वारा दो गवाहों की उपस्थिति में मौखिक वसीयत की गई है। जिनकी पुष्टि Pw 2 साबिर, Pw 3 निसार के बयानों से होती है। जो मौखिक वसीयत के समय पर उपस्थित थे। साथ ही प्रति0 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर इकबाल दावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वादी प्रश्नगत आराजी में मृतक अब्दुल बहाव खाँ के हिस्से के स्थान पर मौखिक वसीयत के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर)

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि दावा वादी डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ...जी परिशिष्ट क खसरा नं0 696 रकबा 0.5944 हैक्टेयर, 697 रकबा 0.3162 हैक्टेयर ... कि...ता दो कुल रकबा 0.9106 हैक्टेयर वाके कस्बा बाडी नं.1 तह0 बाडी में वादी को ...24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 3/24 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को 1/12 हिस्से का एवं परिशिष्ट ख आराजी खसरा नं0 698 रकबा 0.7461 हैक्टेयर वाके कस्बा बाडी नं.1 तह0 बाडी में वादी को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 3/8 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को 1/4 हिस्से की मृतक अब्दुल वहाव खाँ के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करे। निर्णय मुताबिक डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

क्रमांक 322 दिनांक 1-10-25
1. प्रा. पत्र देने वाले का नाम श्री
2. प्रा. पत्र देने का दिनांक 1-10-25
3. नकल तैयार दिनांक 1-10-25
4. नकल देने का दिनांक 1-10-25
5. नकल शुल्क

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
भारत INDIA

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
भारत INDIA